फाइल संख्या एडी(एनएम)/इएसी/वेबसाइट/ 2324- एनएम

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केंद्रीय संचार ब्यूरो

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

परामर्शिका

विषय: केवल वेबसाइट (श्रेणी ख और ग) के पैनल के विस्तार हेतु तकनीकी पैनलबद्धता विंडो की ऑपनिंग।

1. वेबसाइटों की पैनलबद्धता के लिए इस ब्यूरो के पिछले प्रस्ताव अनुरोध (RFPs) के क्रम में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पैनलबद्धता विंडो अब खुल गई है। इसके बाद, पैनलबद्धता विंडो प्रत्येक तिमाही के पहले दिन (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) को खोली जाएगी और प्रत्येक अवसर पर 21 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी। पैनल की अवधि 31.12.2027 तक है। इच्छुक संस्थाएं www.cbcindia.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। प्रत्येक तिमाही में, ऑनलाइन पैनलबद्धता विंडो 21 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी। भौतिक (फिजिकल) बोलियाँ जमा करने के लिए अतिरिक्त 7 दिन प्रदान किए जाएंगे। इस समय सीमा के बाद प्राप्त बोलियों को अगली तिमाही में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
2. विंडो खुलने और आवेदन जमा करने (ऑनलाइन और भौतिक) की महत्वपूर्ण तिथियां:

तिमाही	ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि
पहली तिमाही अर्थात् जनवरी	21 जनवरी	28 जनवरी
दूसरी तिमाही अर्थात् अप्रैल	21 अप्रैल	28 अप्रैल
तीसरी तिमाही अर्थात् जुलाई	21 जुलाई	28 जुलाई
चौथी तिमाही अर्थात् अक्टूबर	21 अक्टूबर	28 अक्टूबर

3. यह एक तकनीकी पैनलबद्धता है और आवेदकों से वित्तीय बोलियाँ (financial bids) नहीं मांगी गई हैं। तकनीकी योग्यता और एल-1 दरों की स्वीकृति के बाद, वेबसाइटों को सीबीसी के साथ पैनलबद्ध (empanel) किया जाएगा।

4. केवल ख और ग (B और C) वाली कैटेगरी वेबसाइट के तहत आवेदन करने के लिए प्रयोक्ता संख्या से जुड़े मानदंड नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	प्रत्येक माह औसत यूनीक प्रयोक्ता संख्या (अद्यतित छः माह के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)
ख	5-10 मिलियन
ग	0.25-5 मिलियन

5. प्रस्ताव अनुरोध (RFPs) और डिजिटल विज्ञापन नीति के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित और बाध्यकारी रहेंगी। विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **अनुलग्नक-1 (Annexure-1)** के रूप में संलग्न आरएफपी देखें। बोलियाँ जमा करने या इस आरएफपी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए पता और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

हर्षित नारंग, उप निदेशक, न्यू मीडिया
कमरा संख्या 363, सूचना भवन, सीजीओ
कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फोन: 011-24369598
ईमेल: digitalmediacbc@gmail.com

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनखा. वी / ANAKHA. V
सहायक निदेशक / Assistant Director
केन्द्रीय संचार ब्यूरो / Central Bureau of Communication
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय / Ministry of Information & Broadcasting
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली-110003 / New Delhi-110003

(अनखा वी)
सहायक निदेशक (न्यू मीडिया)
केंद्रीय संचार ब्यूरो

निविदा दस्तावेज़ की पात्रता के मानदंड और नियम एवं शर्तें

1. नोडल एजेंसी

सीबीसी (CBC) के साथ पैनलबद्ध इंटरनेट वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन देने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो, सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए नोडल एजेंसी होगी।

2. पात्रता मानदंड

i) वेबसाइट कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए और न्यूनतम एक वर्ष से उसी नाम (वेबसाइट पते) के तहत निरंतर संचालन में होनी चाहिए। इस अवधि की गिनती उस तारीख से पीछे की ओर की जाएगी जिस दिन वेबसाइट सीबीसी के साथ पैनलीकरण के लिए आवेदन करती है।

ii) वेबसाइट के पास नीचे दर्शाई गई श्रेणी के अनुसार प्रति माह (पैनलबद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि से ठीक पहले के छह महीनों के आंकड़ों के आधार पर) न्यूनतम औसत विशिष्ट उपयोगकर्ता (Unique Users - UU) (भारत में) होने चाहिए:

श्रेणी	औसत यूनीक प्रयोक्ता संख्या (प्रत्येक माह)
ख	5-10 मिलियन
ग	0.25-5 मिलियन

iii) वेबसाइटों को पिछले छह महीनों के अपने औसत मासिक यूनिक यूजर (UU) की संख्या की रिपोर्ट देनी होगी, जो वेबसाइट के ऑडिटर्स/संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्रमाणित हो। सीबीसी भारत में वेबसाइट ट्रैफ़िक की निगरानी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और विश्वसनीय तीसरे-पक्ष (Third-party) के टूल के माध्यम से वेबसाइट द्वारा प्रस्तुत यूयू डेटा की क्रॉस-चेक (पुष्टि) करेगा।

iv) पैनलीकरण की इच्छुक वेबसाइट को अनुलग्नक II में दी गई एल-1 दरों को स्वीकार करना होगा।

v) पैनलबद्धता के लिए केवल उन वेबसाइटों पर विचार किया जाएगा जो भारत में निगमित (incorporated) कंपनियों के स्वामित्व और संचालन में हैं। तथापि, विदेशी कंपनियों या विदेशी मूल की वेबसाइटें भी पात्र हो सकती हैं यदि ऐसी वेबसाइटों की पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी भारत में पंजीकृत और संचालित हो, जो उनके भारतीय विज्ञापन व्यवसाय की देखरेख करती हो। ऐसे मामले में, विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर पैरा 2(i) में उल्लिखित है।

vi) केवल गैर-सरकारी वेबसाइटों को पैनलबद्धता की बोली (बिड) में भाग लेने की आवश्यकता है। सरकारी/केंद्रीय या राज्य की पीएसयू (PSUs) की वेबसाइटों को सीधे पैनलबद्ध किया जाएगा यदि वे अन्य समान श्रेणी की निजी वेबसाइटों को दी जाने वाली एल-1 दर मैट्रिक्स को स्वीकार करती हैं, बशर्ते कि उनके विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की संख्या उस श्रेणी के मानदंडों के अनुसार हो।

vii) एक ही कंपनी/समूह से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों को पैनलबद्ध किया जा सकता है, बशर्ते वे अलग-अलग/व्यक्तिगत रूप से यूयू (UU) संख्या के मानदंड को पूरा करती हों। दूसरे शब्दों में, एक समूह/कंपनी की विभिन्न वेबसाइटों के यूयू काउंट को जोड़ने/इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, ऐसी वेबसाइटों को प्रत्येक वेबसाइट के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे।

viii) सीबीसी किसी भी वेबसाइट का पैनलीकरण अस्वीकार करने या उसे निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि उसकी सामग्री राष्ट्रविरोधी/अश्लील/अभद्र/असामाजिक/सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली पाई जाती है या किसी भी रूप में सरकारी संचार के लिए आपत्तिजनक या अनुपयुक्त मानी जाती है या भारत के मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करती है। इस संबंध में सीबीसी के महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

ix) वेबसाइट के मालिक और उसका संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा सीधे जमा किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी मध्यस्थ एजेंसी (intermediary agency) किसी वेबसाइट या वेबसाइटों के समूह की ओर से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

x) केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की ओर से जारी किए गए सीबीसी के विज्ञापनों/संदेशों को अधिकतम दर्शकों तक पहुँचाने के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और निर्धारित क्लिक थ्रू रेट (CTR) प्राप्त करना चाहिए।

3. वेबसाइटों के लिए व्यावसायिक बोली (बिड) और विज्ञापन की विशेषताएँ

सीबीसी, वेबसाइटों पर मानक आकार के वेब बैनर और मानक वीडियो विज्ञापन इन्वेंट्री (दरें 10 सेकंड के गुणकों में होंगी) प्रकाशित करेगा। सीबीसी वेबसाइटों को मानक बैनर विज्ञापनों के लिए 'लागत प्रति हजार इंप्रेशन' (Cost Per Thousand Impressions - CPTI) के आधार पर दरें प्रदान करेगा और सभी श्रेणियों में न्यूनतम क्लिक-थ्रू रेट (CTR) 0.30 (अर्थात प्रति हजार इंप्रेशन पर 3 क्लिक या प्रति मिलियन इंप्रेशन पर 3000 क्लिक) निर्धारित किया जाएगा, जो तीसरे पक्ष के सर्वर के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्टों में दिखाई देना चाहिए। प्रति रिलीज ऑर्डर 0.3 से कम लेकिन 0.2 तक का सीटीआर होने पर बिल की राशि में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।प्रति रिलीज ऑर्डर 0.2 से कम लेकिन 0.1 तक का सीटीआर होने पर बिल की राशि में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। प्रति रिलीज ऑर्डर 0.1 से कम का सीटीआर होने पर बिल गई राशि में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

3.1 केवल इंटरनेट वेबसाइट पैकेज की विज्ञापन विशेषताएँ (केवल श्रेणी ख और ग के लिए लागू)

i) केवल वेबसाइट पैकेज के लिए आवेदन उनकी मासिक यूनिक यूजर संख्या के आधार पर श्रेणी ख और ग तक सीमित होंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम यूनिक यूजर योग्यता संख्या निम्नानुसार होगी:

श्रेणी	प्रति माह औसत यूनीक प्रयोक्ता संख्या
ख	5-10 मिलियन
ग	0.25-5 मिलियन

ii) तकनीकी रूप से योग्य वेबसाइटों को उनकी संबंधित श्रेणी के अनुसार अनुलग्नक II में दी गई दरों की पेशकश की जाएगी (एक आवेदक केवल एक श्रेणी के लिए आवेदन कर सकता है)।

iii) सीबीसी उन आवेदकों को भी पैनलबद्ध कर सकता है जिनके पास अनुलग्नक II में उल्लिखित विज्ञापन आकारों में से दो से अधिक आकार उपलब्ध नहीं हैं, बशर्ते वे शेष संपत्तियों के लिए पूर्ण एल-1 दर मैट्रिक्स स्वीकार करें। इस आशय का एक लिखित नोटरीकृत प्रमाणपत्र तकनीकी बोली (technical bid) के साथ साझा किया जा सकता है, जिसमें आकारों की अनुपलब्धता बताई गई हो।

4. जांच, अनुपालन और बिलिंग

i) पैनलबद्धता के लिए आवेदन करने वाली सभी वेबसाइटें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम, हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक नोटरीकृत प्रमाणपत्र जमा करेंगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है और वे सीबीसी पैनलबद्धता के सभी नियमों और शर्तों के साथ-साथ अपने पैनलबद्धता के संबंध में सीबीसी के निर्णय का पालन करेंगे। यदि किसी इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी भी तरह से झूठी/गलत पाई जाती है, तो उस इकाई को अगले तीन वर्षों के लिए पैनलबद्धता से निलंबित और/या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

ii) वेबसाइट को नवीनतम उपलब्ध छह महीनों के यूयू डेटा के आधार पर, वेबसाइट के ऑडिटर्स/इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले छह महीनों के अपने औसत मासिक यूनिक यूजर (UU) की संख्या की रिपोर्ट देनी होगी।

iii) वेबसाइट को रिलीज ऑर्डर के अनुसार अभियान (campaign) के अंतिम दिन से 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन बिल और भौतिक बिल भी जमा करने होंगे, साथ ही एक अभियान रिपोर्ट भी देनी होगी जिसमें जेनेरेटेड इंप्रेशन की संख्या और सीटीआर का उल्लेख होगा।

iv) वेबसाइटें, सीबीसी द्वारा नियुक्त थर्ड-पार्टी-एड-सर्वर (3-PAS) के माध्यम से ही सीबीसी द्वारा जारी सभी विज्ञापनों को प्रदर्शित करेंगी। तथापि, यदि सीबीसी पैनलबद्ध वेबसाइटों द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष के सर्वर से रिपोर्ट स्वीकार करने का निर्णय लेता है, तो सीबीसी इस संबंध में कोई लागत वहन नहीं करेगा और तीसरे पक्ष के सर्वर की नियुक्ति पर पूरा खर्च केवल संबंधित इकाई द्वारा वहन किया जाएगा। रिपोर्टें, तथापि, ऊपर पैरा 4(iii) में बताए अनुसार ही तैयार और जमा करनी होंगी, साथ ही आवेदक के अभियान के डैशबोर्ड तक पहुंच भी प्रदान करनी होगी, क्योंकि अभियान के क्रेडेंशियल्स को सत्यापित करने और बिलों के प्रसंस्करण के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

v) भारत सरकार के कानूनों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों और विनियमों का अनुपालन करना वेबसाइट मालिक की जिम्मेदारी होगी।

vi) नीचे पैरा 5(iii) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल में यूनिक यूजर डेटा की समीक्षा करने के अतिरिक्त, पैनलबद्धता की अवधि के लिए पैनलबद्ध वेबसाइट को एक बार दी गई और स्वीकार की गई दरों में कोई बदलाव नहीं होगा ।

vii) सभी तकनीकी आवश्यकताओं जैसे कि सीबीसी द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन प्रारूप को वेबसाइट के प्रारूप के अनुरूप ढालना, की लागत वेबसाइट द्वारा वहन की जाएगी।

5. कार्यकाल, संशोधन और पैनल

i) अंतिम रूप से तय की गई पैनलबद्धता और विज्ञापन दरें 31.12.2027 तक वैध होंगी और महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी के अनुमोदन से अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी।

ii) प्रारंभिक वेबसाइट पैनल की अधिसूचना के दिन से एक वर्ष के लिए, पैनलबद्धता विंडो बंद रहेगी। नई वेबसाइटों पर विचार करने के लिए, साथ ही उन संस्थाओं को एक और मौका देने के लिए जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन नीति में निर्धारित पात्रता मानदंडों या शॉर्ट-लिस्टिंग कार्यप्रणाली के कारण पैनलबद्ध नहीं हो सकीं, विंडो संबंधित श्रेणी में आगामी तिमाही यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, के लिए एक वर्ष बाद ही खोली जाएगी। इसके बाद पैनल के शेष कार्यकाल के लिए हर तिमाही में आवेदन मांगे जा सकते हैं। ऐसे आवेदकों को तकनीकी योग्यता जांच के आधार पर पैनल की शेष अवधि के लिए पैनलबद्ध किया जाएगा, और कोई वित्तीय बोलियां नहीं ली जानी हैं, अर्थात तकनीकी रूप से योग्य वेबसाइटों को पैनल निर्माण के समय पहले से निर्धारित एल-1 दर मैट्रिक्स को ही स्वीकार करना होगा। ऐसी संस्थाएं पैनल के शेष कार्यकाल के लिए सीबीसी द्वारा अधिसूचित दिन से पैनल में शामिल होंगी।

iii) प्रत्येक पैनलबद्ध वेबसाइट के यूनिक यूजर डेटा की समीक्षा सीबीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में की जाएगी, और तदनुसार, श्रेणी के ऊपर/नीचे संशोधन (तदनुरूपी एल-1 दर मैट्रिक्स के साथ) पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी का निर्णय अंतिम होगा।

iv) एक पैनलबद्ध इकाई को पैनल के शेष कार्यकाल के लिए सीबीसी से सरकारी विज्ञापनों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, यदि वह एक से अधिक अवसरों पर भारत सरकार के किसी भी संगठन की ओर से सीबीसी द्वारा जारी विज्ञापनों को स्वीकार करने और चलाने से मना करती है।

v) पैनलबद्धता से काम पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। संस्थाओं को विज्ञापन देने का निर्णय सीबीसी द्वारा उस संगठन के परामर्श से लिया जाएगा जिसकी ओर से सीबीसी विज्ञापन जारी कर रहा है, और इसमें अभियान की प्रकृति और आवश्यकताओं, लक्षित दर्शकों (target audience) जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा।

vi) संस्थाओं की पैनलबद्धता और उनकी दरों तथा अन्य नियमों और शर्तों के लिए ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, किसी भी असहमति के मामले में, महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी का निर्णय अंतिम होगा।

6. ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़

i) पैरा 2(i) के समर्थन में दस्तावेज़।

ii) नवीनतम उपलब्ध छह महीनों के यूयू डेटा के आधार पर, वेबसाइट के ऑडिटर्स/इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले छह महीनों के औसत मासिक यूनिक यूजर (UU) काउंट की रिपोर्ट।

iii) पैरा 2(v) के अनुसार निगमन का प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation)।

iv) पैरा 4(i) के अनुसार एक प्रमाण पत्र के रूप में वचनपत्र (Undertaking) और पैरा 4(iii) तथा 4(iv) के अनुसार थर्ड-पार्टी सर्वर के माध्यम से अभियान चलाने और वांछित रिपोर्ट प्रदान करने की स्वीकृति।

v) आवेदन शुल्क 10,000/- रुपये प्रति वेबसाइट (अप्रतिदेय (non-refundable))।

vi) पैरा 3.1(iii) के समर्थन में उल्लिखित आकारों के विज्ञापन की अनुपलब्धता पर शपथपत्र (Affidavit)(यदि लागू हो)।

<u>अनुलग्नक-ख</u>

तकनीकी बोली*

1. वेबसाइट का नाम (URL):
2. पंजीकृत कार्यालय का पता:
3. वह श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया गया है (ख/ग):
4. कंपनी के निगमन (incorporation) की तिथि:
5. वेबसाइट लॉन्च करने की तिथि:
6. वह तिथि जिससे वेबसाइट निरंतर संचालन में है:
7. पिछले 6 महीनों के लिए प्रति माह अद्वितीय उपयोगकर्ताओं (Unique Users) की औसत संख्या (नवीनतम उपलब्ध छह महीनों का डेटा):
8. क्या वेबसाइट भारत की है (हाँ/नहीं):
9. यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो क्या वेबसाइट की भारत में पंजीकृत और संचालित पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो उनके भारतीय विज्ञापन व्यवसाय की देखरेख करती है। यदि हाँ, तो उसका विवरण।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियों के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने के संबंध में निविदा दस्तावेज के पैरा 6 को ध्यान से पढ़ें। कृपया ध्यान दें, एक आवेदक या तो 'इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पैकेज' या 'केवल वेबसाइट पैकेज' (केवल श्रेणी ख और श्रेणी ग के लिए) में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक पैनलबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट (cbcindia.gov.in/cbc/vendor-login) का उपयोग कर सकते हैं; तथापि, भौतिक बोलियां भी सीबीसी में जमा की जानी चाहिए।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)
हस्ताक्षर, मोहर और सील

**लेटरहेड पर प्रिंट किया जाना है*

अनुलग्नक-II

केवल इंटरनेट वेबसाइट (श्रेणी ख और ग)
श्रेणी-वार एल-1 दरें (रुपये में)

श्रेणी	सीपीटीआई 300x250 (रुपये)	सीपीटीआई 728x90 (रुपये)	सीपीटीआई 300x600 (रुपये)	सीपीटीआई 970x250 (रुपये)	इंटरस्टिशियल एड प्रॉपर्टी (रुपये)	फिक्स्ड बैनर 300x250, शाम 6 से रात 12 बजे (रुपये)	फिक्स्ड बैनर 300x250, रात 12 से सुबह 6 बजे (रुपये)	फिक्स्ड बैनर 300x250, सुबह 6 से दोपहर 12 बजे (रुपये)	फिक्स्ड बैनर 300x250, दोपहर 12 से शाम 6 बजे (रुपये)	फिक्स्ड बैनर 300x250, 24 घंटे (रुपये)	वीडियो एड 300x250 प्रति 10 सेकंड (रुपये)
ख	15	20	15	20	30	15000	20000	20000	40000	60000	0.3
ग	5.25	5.65	5.5	5.65	5	2625	3750	3750	2000	11250	0.2